

मध्यप्रदेश शासन

जेल विभाग

मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक २३ सितम्बर, 2022

क्रमांक-एफ-03-50/2011/तीन/जेल : राज्य शासन द्वारा पूर्व में मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3-50/2011/तीन/जेल, दिनांक 10 जनवरी, 2012 द्वारा जारी दिशा-निर्देश एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई-दिल्ली द्वारा क्रिमिनल अपील क्रमांक 784/2010 विक्रम सिंह एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित निर्णय दिनांक 22.03.2022 एवं दिनांक 26.04.2022 के पालन में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-28/2022/1/4/दिनांक 10/05/2022 द्वारा अपर मुख्य सचिव (गृह विभाग) की अध्यक्षता में प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, अपर सचिव, जेल विभाग तथा महानिदेशक (जेल) की राज्य स्तरीय समिति गठित की गई। उक्त राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 12.09.2022 की बैठक के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित अनुशंसाओं के क्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा ऐसे बंदियों को, जो राज्य के दापिड़क अधिकारिता वाले न्यायालयों द्वारा सिद्ध-दोष ठहराए गए हैं और जो इस राज्य की या अन्य राज्यों की जेलों में परिरुद्ध हैं, को आगामी आदेश तक उनके अच्छे आचरण की शर्त पर सजा में छूट एवं परिहार प्रदान करने के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

(1) मध्यप्रदेश में वर्ष में 04 दिवस यथा 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 14 अप्रैल (डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) एवं 02 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) के अवसर पर आजीवन कारावास के दंडित बंदियों को, दिशा-निर्देश में पात्रता अनुसार, सजा से छूट प्रदान कर समय-पूर्व रिहाई की कारवाई की जाएगी।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433 एवं 433 A की परिधि में आने वाले आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नलिखित अधिनियमों/धाराओं में दंडित बंदियों की समयपूर्व रिहाई नहीं होगी :-

२०११/२

- i. आतंकवादी गतिविधियों में (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 (TADA), Prevention of Terrorism Act, 2002 (POTA), Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA), Anti Hijacking Act, Official Secrets Act) दोषी।
- ii. लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 की धारा 6(1) के अंतर्गत बलात्संग के दोषी।

- iii. भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 एवं 376 के समस्त उपबंधों में आजीवन कारावास से दण्डित दोषी।
- iv. जहरीली शराब के निर्माण, भण्डारण, परिवहन (धारा 49A म.प्र. आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2021) के दोषी।
- v. इग्स के व्यवसायिक मात्रा में अधिपत्य (Possession), निर्माण, भण्डारण, परिवहन (धारा 31A Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) के दोषी।
- vi. विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के दोषी।
- vii. दो या दो से अधिक प्रकरणों में हत्या के दोषी।
- viii. ऐसे प्रकरण जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किया गया हो या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) से भिन्न किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन अपराध के अन्वेषण पश्चात विचारण में दोषसिद्ध।
- ix. ऐसे बंदी जिनकी सजा के विरुद्ध अपील माननीय उच्च या सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हो।
- x. किसी शासकीय सेवक (केन्द्र अथवा राज्य) की सेवा के दौरान किसी व्यक्ति द्वारा हत्या का अपराध तब किया गया था जबकि वह अपने पटीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था या ऐसा करना तात्पर्यित था।
- xii. ऐसे समस्त सिद्धांष बंदी जिनके निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा विशिष्ट रूप से अवधि निर्धारित की गई हो अथवा जीवन पर्यन्त कारागार में निरुद्ध रखने हेतु आदेशित किया गया हो।
 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय VI के तहत किए गए अपराध (राज्य के विरुद्ध अपराध) और अध्याय VII के तहत किए गए अपराध (आर्मी, नेवी एवं वायु सेना से संबंधित अपराध) के दोषी।
- xiii. भारत के संविधान की अनुसूची 07 की सूची-(संघीय सूची) में वर्णित विषयों से संबंधित अपराध के दोषी।
- xiv. जिसमें केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग या नाश अथवा नुकसान अंतर्वलित हो, के दोषी।
- xv. ऐसे प्रकरण, जिनमें माननीय राष्ट्रपति द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित (Commute) किया गया हो।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433 A की परिधि में आने वाले आजीवन कारावास से दंडित कंडिका (2) में वर्णित प्रतिबंधित धाराओं के बंदियों को छोड़कर निम्न श्रेणी के बंदियों को 20 वर्ष का वास्तविक कारावास एवं परिहार सहित 25 वर्ष पूर्ण करने पर रिहाई की पात्रता होगी:-

(एक) जेल के अंदर हत्या के दोषी।

(दो) छुट्टी (पैरोल) के दौरान हत्या में आजीवन कारावास के दोषी।

(तीन) भादवि, 1860 की धारा 396 के तहत डकैती के साथ हत्या के दोषी।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433 A की परिधि में आने वाले उपरोक्त कंडिका

(3) के अतिरिक्त आजीवन कारावास से दंडित अन्य समस्त बंदियों को 14 वर्ष के वास्तविक कारावास एवं परिहार सहित 20 वर्ष पूर्ण करने पर ही रिहाई की पात्रता होगी।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433 A की परिधि में नहीं आने वाले आजीवन कारावास से दंडित अन्य समस्त बंदियों को विचाराधीन अवधि एवं परिहार सहित 14 वर्ष का कारावास भुगत लेने पर, किन्तु विचाराधीन अवधि सहित (बिना परिहार) 10 वर्ष का वास्तविक कारावास भुगत लेने पर ही समय-पूर्व रिहाई की पात्रता होगी।

(6) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433 A की परिधि में नहीं आने वाले आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 70 वर्ष की आयु से अधिक के दण्डित पुरुष बंदी, जिन्होंने 10 वर्ष का वास्तविक कारावास एवं परिहार सहित 12 वर्ष का कारावास भुगत लिया हो तथा 60 वर्ष से अधिक आयु की दण्डित महिला बंदी, जिन्होंने 08 वर्ष का वास्तविक कारावास एवं परिहार सहित 10 वर्ष का कारावास भुगत लिया हो, वे समय-पूर्व रिहाई हेतु पात्र होंगे, किन्तु, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433 A की परिधि में आने वाले उपरोक्त आयु वर्ग के दण्डित पुरुष/महिला बंदी न्यूनतम 14 वर्ष की वास्तविक सजा पूर्ण होने पर ही रिहाई हेतु पात्र होंगे।

(7) इस प्रयोजन हेतु जेल विभाग के आदेश दिनांक 09/02/2011 के द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा इन दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता रखने वाले बंदियों का परीक्षण कर अभिमत सहित अनुशंसाएँ महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश भोपाल को प्रेषित की जावेगी। महानिदेशक जेल, द्वारा जेल मुख्यालय स्तर पर परीक्षणोपरांत अभिमत सहित पात्र बंदियों की सूची रिहाई के दिनांक से 15 दिवस पूर्व राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी। राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत जेल मुख्यालय द्वारा उक्तानुक्रम में विधिवत् अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(8) आजीवन कारावास की सजा को छोड़कर अन्य सजा से दण्डित बंदियों को सजा में परिहार -

निम्नलिखित सारणी में उल्लेखित बंदियों की श्रेणी अनुसार सारणी के कॉलम 3 में उल्लेखित परिहार 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 14 अप्रैल (डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) एवं 02 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) के अवसर पर दिशा-निर्देशों में पात्रता रखने वाले बंदियों को राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

:: तालिका ::

अ.क्र.	बंदियों की श्रेणी	उक्त विशेष अवसरों पर स्वीकृत किए जाने वाले परिहार की अवधि
(1)	(2)	(3)
1	आजीवन कारावास से दण्डित किए गए बंदियों को छोड़कर ऐसे बंदियों को जिन्हें 10 वर्ष से अधिक के कारावास से दण्डित किए गए हैं।	01 माह 15 दिन
2	05 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक के कारावास से दण्डित बंदी -	एक माह
3	03 वर्ष से अधिक और 05 वर्ष तक के कारावास से दण्डित बंदी	15 दिन
4	02 वर्ष से अधिक और 03 वर्ष तक के कारावास से दण्डित बंदी	07 दिन
5	01 वर्ष से अधिक और 02 वर्ष तक के कारावास से दण्डित बंदी	05 दिन

8.1 उपरोक्त तालिका में उल्लेखित परिहार निम्नलिखित बंदियों को उपलब्ध नहीं होगा :-

- (एक) दिशा-निर्देश की कंडिका (2) में वर्णित अधिनियमों एवं धाराओं में सजा भुगत रहे बंदी।
- (दो) जो कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 59 की उपधारा (1) के साथ सहपठित धारा 45 के खण्ड-1 के अधीन जेल अपराधों के लिए उक्त विशेष अवसरों (जिस तिथि में शासन परिहार दिया जा रहा है), उस तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर में किसी दण्ड से दण्डित किए गए हों अथवा जेल अपराध में भा.द.वि. की किसी धारा के अपराध में अभियोजित किए जाकर दण्डित किए गए हों अथवा विचाराधीन हों,
- (तीन) जिन्होंने परिहार आदेश के दिन न्यूनतम 01 वर्ष की वास्तविक सजा (विचाराधीन अवधि को छोड़कर) नहीं भुगती हो,
- (चार) जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा जेल नियमावली के नियम - 412 के अधीन आन्यासिक अपराधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया हो,
- (पाँच) जिन्हें किसी न्यायालय द्वारा प्रतिभूति देने के लिए आदेश किए गए हों और ऐसी प्रतिभूति न देने के कारण कारावास भुगत रहे हों,
- (छ.) जो जुर्माने का भुगतान करने में व्यतिक्रम किए जाने के कारण दण्डादेश भुगत रहे हों,

१२
२०१८

8.2 ऐसे बंदी, जो निम्नलिखित अधिनियमों के अधीन अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराए गए हों, को भी कंडिका 8 की तालिका में उल्लेखित परिहार उपलब्ध नहीं होगा :-

8.2.1 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से संबंधित -

- (एक) अध्याय-6 (राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय) में उल्लेखित दण्डनीय अपराध। (धारा-121 से 130)
- (दो) अध्याय-7 (सेना, नौ सेना और वायु सेना से संबंधित अपराधों के विषय) में उल्लेखित दण्डनीय अपराध। (धारा-131 से 140)
- (तीन) अध्याय-9 क (निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय) में उल्लेखित दण्डनीय अपराध। (धारा-171-इ से 171-आई)
- (चार) अध्याय-12 (सिक्कों और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराधों के विषय) में उल्लेखित दण्डनीय अपराध। (धारा-231 से 263-ए)
- (पाँच) अध्याय-15 (धर्म से संबंधित अपराधों के विषय) में उल्लेखित दण्डनीय अपराध। (धारा-295 से 298)
- (छ.) धारा 153-क, 153क-क, 153ख-ख, 194, 195-क, 216-क, 221 से 225, 302, 303, 304 भाग-1, 304 भाग-2, 304-ख, 307, 312 से 317, 326, 332, 333, 353, 354-ए, 363 लगायत 374, 376 एवं 376 के समस्त उपबंध, 377, 382, 386, 387, 394 से 397, 399, 400, 402, 409, 436, 460, 466, से 468, 472, 475, 477, 489-क, 489-ख, 489-ग, 489-घ, 489-इ एवं 498-क के अंतर्गत सिद्धदोष बंदी,

०९
२२/१८/८८

- 8.2.2 स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 की सं. 61)
- 8.2.3 मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (1915 की सं. 2)
- 8.2.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
- 8.2.5 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 की सं. 37)
- 8.2.6 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 की सं. 10)
- 8.2.7 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 28)
- 8.2.8 झट्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 की सं. 49)
- 8.2.9 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 की सं. 65)
- 8.2.10 पुलिस (दोह उद्दीपन) अधिनियम, 1922 (1922 की सं. 22)
- 8.2.11 भारतीय सैनिक (मुकदमा) अधिनियम, 1925 (1925 की सं. 4)
- 8.2.12 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 की सं. 37)
- 8.2.13 आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987
- 8.2.14 म0प्र0 डैकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (1981 की सं. 36)

- 8.2.15 म0प्र0 राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 (1991 की सं. 4)
- 8.2.16 म0प्र0 विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम, 2000 (2001 की सं. 17)
- 8.2.17 आतंकवादी गतिविधि प्रतिषेध अधिनियम, 2002
- 8.2.18 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 की सं. 23)
- 8.2.19 कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 की सं. 19)
- 8.2.20 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 की सं. 22)
- 8.2.21 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 की सं. 52)
- 8.2.22 विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 की सं. 52)
- 8.2.23 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 की सं 43)
- 8.2.24 पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 की सं. 15)
- 8.2.25 राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 की सं. 69)
- 8.2.26 बन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 की सं. 53)
- 8.2.27 शासकीय गुप्त वार्ता अधिनियम, 1923 (1923 की सं. 19)
- 8.2.28 विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (1946 की सं. 31)
- 8.2.29 लोक सम्पत्ति को नुकसान का निवारण अधिनियम, 1984 (1984 की सं. 3)
- 8.2.30 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (1908 की सं. 6)
- 8.2.31 परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 की सं. 33)
- 8.2.32 यान हरण निवारण अधिनियम, 2016 (2016 की सं. 30)
- 8.2.33 The Suppression of Unlawful Acts against Safety of Civil Aviation Act, 1982
- 8.2.34 SAARC Convention (Suppression of Terrorism) Act, 1993
- 8.2.35 सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्विपीय मर्गनतट भूमि पट स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधि विरुद्ध कार्यों का अधिनियम, 2002 (2002 की सं. 69)
- 8.2.36 सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 की सं. 21)
- 8.2.37 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (2007 की सं. 6)
- 8.2.38 घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 की सं. 43)
- 8.2.39 बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 61)
- 8.2.40 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (1956 की सं. 106)
- 8.2.41 सेन्य न्यायालय द्वारा दण्डित बंदी
- 8.2.42 स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 60)
- 8.2.43 न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (1971 की सं. 70)
- 8.2.44 गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 की सं. 34)
- 8.2.45 धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 (1988 की सं. 41)

- 8.2.46 माता/पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 की सं. 56)
- 8.2.47 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-135 (2003 की सं. 36)
- 8.2.48 सार्वजनिक दूरत अधिनियम, 1867 की धारा 45-क (1867 की सं. 3)
- 8.2.49 गर्भधारण पूर्व प्रसूति निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 की सं. 57)
- 8.2.50 उक्त क्रमांक 8.2.1 से 8.2.49 में उल्लेखित अपराधों के संबंध में आपराधिक घटयंत्र (धारा 120-वी भा.द.स.)
- 8.2.51 ऐसे दोषसिद्ध बंदी जिन्हें एक से अधिक प्रकरणों में दण्डित किया गया हैं
- 8.2.52 ऐसे दोषसिद्ध अपराधी, जिनके अन्य प्रकरण न्यायालय में लंबित/विचाराधीन हैं
- 8.2.53 धर्मान्तरण से संबंधित कोई भी अधिनियम
- 8.2.54 उपरोक्त धाराओं/अधिनियमों की विषयवस्तु से संबंधित कोई भी अधिनियम जो वर्तमान में प्रभावशील हो अथवा जो समय-समय पर संसद अथवा विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के उपरांत प्रभावशील किया गया हो अथवा कालांतर में प्रभावशील किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

अपर मुख्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन, जेल विभाग

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2022

पृ.क्रमांक-एफ-03-50/2011/तीन/जेल,

प्रतिलिपि :-

- (1) सेक्रेट्री जनरल, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- (2) रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.)
- (3) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
- (4) माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- (5) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- (6) विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, गृह एवं जेल विभाग, भोपाल।
- (7) उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- (8) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ-भवन, भोपाल।
- (9) अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- (10) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विधायाचल भवन, भोपाल।
- (11) पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।